संख्या-1/2016/1973/49-1-2015-8(80)/12टीसी-।।

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 25 जनवरी, 2016

विषय- प्रो0 वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में सहकारिता प्रणाली के पुनरूत्थान/सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यांश के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिला सहकारी बैंकों के रिहैबिलिटेशन हेतु किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-483/लेखा-अ दिनांक 21 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रो0 वैघनाथन कमेटी की संस्तुतियों के अन्तर्गत नाबार्ड तथा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर-14 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के बीच कोआपरेटिव क्रेडिट स्ट्क्चर की भागीदारी सुनिश्चित की गयी थी।

2- एम0ओ0यू0 के सन्दर्भ में प्रो0 वैघनाथन कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में जिला सहकारी बैंकों तथा प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के पुनरूथान/सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यांश के रूप में वित्त विभाग के निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा 299.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी:-

| क्रम सं0 | शासनादेश संख्या | धनराशि(करोड़ रू0 में) |
|---|---|---|
| 1- | ई-2-1863/दस-2006 दिनांक 05 जुलाई, 2006 | 42.00 |
| 2- | ई-2-570/10-2008-522/05 दिनांक 13 मार्च, 2008 | 44.12 |
| 3- | ई-2-1305/दस-2009 दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 | 52.50 |
| 4- | ई-2-270/दस-2010/522/05 दिनांक 28 फरवरी,2010 | 161.32 |
| | राज्यांश की कुल धनराशि | 299.94 |

3- बैंक एवं पैक्स को प्राप्त होने वाली पूँजीकरण सहायता के आंकलन में नाबार्ड द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधनो के उपरान्त राज्यांश की धनराशि रू0 299.94 करोड़ से घटकर रू0 265.70 करोड़ रह गई। इस प्रकार रू0 34.24 करोड़ की धनराशि अवशेष है।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अतः सम्यक विचारोपरान्त वैद्यनाथन पैकेज के अन्तर्गत राज्यांश मद में स्वीकृत अवशेष धनराशि रू0 34.24 करोड़ गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार/रिहैबिलिटेशन हेतु उपयोग किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि आवंटित की जा रही है।

6- उक्त धनराशि का विस्तृत लेखा-जोखा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग,उ0प्र0, लखनऊ द्वारा रखा जायेगा एवं इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2 1244/दस-2-2015 दि0 01 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2016/1973(1)/49-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5-मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 11-विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
7- सहकारिता अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।